



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-335

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312400 दिनांक 06/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rampyari Sharma W/o JAGDISH NARAYAN SHARMA	श्री नारायण दास खत्री पुत्र श्री किशनचन्द खत्री	29	204.31 SQ. YARD	Cooperative	RAMDWARA COLONY (SHREE CHATARPA TI GNSS)	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रामद्वारा कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 204.31 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 14.03.2002 श्री नारायण दास खत्री पुत्र श्री किशनचन्द खत्री के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2003 के माध्यम से श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री इन्द्राज शर्मा को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2008 के माध्यम से श्रीमती रामप्यारी शर्मा पत्नी श्री जगदीश नारायण शर्मा को बेचान कर दिया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rampyari Sharma W/o JAGDISH NARAYAN SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |